न्यायालय -अपर जिला न्यायाधीश, नोखा जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: मुकेश कुमार प्रथम (आरजे 00693)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
नम्बरी दीवानी प्रकरण संख्या - 37/2022
सीआईएस नंबर- 286/2014

1. गजेन्द्र श्रीमाली पुत्र मूलचन्द
2. देवेन्द्र श्रीमाली पुत्र मूलचन्द
3. नरेन्द्र श्रीमाली पुत्र मूलचन्द
   निवासीगण जस्सुसर गेट के अन्दर, पोस्ट ऑफिस के पास, बीकानेर।

वादीगण

बनाम

1. पंकज श्रीमाली पुत्र स्व.कुशल श्रीमाली निवासी बाड़मेर, बालोतरा, हाल महादेव मंदिर, नोखा जिला बीकानेर।
2. संग्राम सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी बी-71, करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर।
3. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह निवासी बी-22, करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत निरस्त करवाने विक्रय पत्र व प्राप्त करने कब्जा अन्तर्गत आदेश-07 नियम-01 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं.02-03 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:-
1. विद्वान अधिवक्ता श्री वेणुगोपाल, वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

- निर्णय- दिनांक- 04.08.2025

1. हस्तगत वाद बाबत् निरस्त करवाने विक्रय पत्र व प्राप्त करने कब्जा अन्तर्गत आदेश-07 नियम-01 सिविल प्रक्रिया संहिता का माननीय जिला न्यायालय, बीकानेर के समक्ष दिनांक 30.07.2014 को प्रस्तुत किये जाने पर जिला न्यायालय, बीकानेर द्वारा उक्त वाद न्यायालय- अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, बीकानेर के यहां अन्तरित किया गया जो कालांतर में दिनांक 07.06.2022 को अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता स्व.मूलचन्द, चाचा स्व.पूनमचन्द उर्फ मुलतानचन्द एवं स्व.कुशाल श्रीमाली के संयुक्त हक व हिस्सा की एक खातेदारी अविभाजित कृषि भूमि वाके खसरा नं.64, रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नं. 177 रकबा 10.19 हैक्टेयर, खसरा नं.233 रकबा 9.82 हैक्टेयर, खसरा नं.234 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं.240 रकबा 2.73 हैक्टेयर, कुल किता 05 कुल रकबा 24.14 हैक्टेयर रोही नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर में है जिसमें उनके चाचा स्व.पूनमचन्द श्रीमाली का भी अविभाजित 04.0233 हिस्सा है। उनके चाचा स्व.पूनमचन्द पिछले चालीस वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे एवं किसी भी कृत्य को एवं उसके परिणाम को समझने में असमर्थ थे, उनका लम्बे अर्से से ईलाज चल रहा था जो पहले वादीगण के पिता की देखरेख व तत्पश्चात् स्वयं वादी संख्या 01 की देखरेख में चल रहा था। लम्बी बीमारी के बाद वादीगण के चाचा पूनमचन्द श्रीमाली का दिनांक 06.06.2014 को निधन हो गया जिसकी सूचना स्वयं प्रतिवादीगण को थी। वादीगण के चाचा स्व.पूनमचन्द श्रीमाली उर्फ मुलतानचंद पुत्र मुन्नीलाल की मृत्यु दिनांक 06.06.2014 को निर्वसीयती हो गई और उनके हिस्से अर्थात् स्व.पूनमचन्द के हिस्से कुल 04.0233 हैक्टेयर के मालिक व काबिज हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के ताबे स्व.पूनमचन्द श्रीमाली के सगे भाई स्व.मूलचन्द वादीगण के पिता एवं स्व.कुशाल श्रीमाली प्रतिवादी संख्या 01 के पिता के वारिसान हुए जिनमें उक्त अविभाजित हिस्सा का मालिकाना हक निहित हुआ। इस प्रकार उक्त तमाम कृषि भूमि में वादीगण का पर्याप्त हित निहित है। उपरोक्त वर्णित खातेदारी के तमाम हक व अधिकार, क्लेम, टाईटल, इन्टरेस्ट, मालिकाना व काबिजाना स्व.पूनमचन्द उर्फ

मुलतानचंद के सगे भाईयों स्व.मूलचन्द व स्व.कुशाल श्रीमाली के वारिसान में निहित हो गये। वादीगण के चाचा स्व.पूनमचन्द की मृत्यु के पश्चात् उनके तमाम क्रियाकर्म आदि सामाजिक रीति रिवाज अनुसार वादीगण द्वारा ही अपने घर में किये गये जिसमें पूरे परिवार के सदस्य मौजूद रहे। उक्त अविभाजित कृषि भूमि का कब्जा वादीगण के पास स्व.पूनमचन्द की मृत्युपर्यन्त एवं उसके पश्चात् से अब तक है। वर्तमान में भी वादीगण ही तमाम कृषि भूमि को काश्त कर रहे हैं एवं उपयोग उपभोग में ले रहे है। वादीगण के चाचा स्व.पूनमचन्द पिछले चालीस वर्षों से भयंकर रूप से बीमार थे जो पागल एवं झड़ बुद्धि थे एवं सोचने-समझने की स्थिति में नहीं थे एवं अपने अंतिम समय तक वे वादीगण के पास ही रहे। चूंकि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के चाचा का लड़का था और वादीगण के घर रिश्तेदार के कारण आता जाता भी रहता था जिसने वादीगण से कई बार आग्रह किया कि वह अपने पुश्तैनी मंदिर जो नोखा गांव में महादेव मंदिर में चाचा को दर्शन करा लाता है ताकि स्वास्थ्य कुछ ठीक रहे एवं महादेव की कृपा बनी रहे जिस पर वादीगण ने तत्समय पूनमचन्द उर्फ मुलतानचंद को महादेव मंदिर ले जाने की इजाजत दे दी। तत्समय प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा यही कहा गया कि आप निश्चित रहे, आप उनको नोखा भेज दो एवं वादीगण के प्रतिवादी संख्या 01 की बातों में विश्वास कर दिनांक 12.12.2013 को वादीगण के चाचा स्व.पूनमचन्द श्रीमाली को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ भेज दिया एवं इसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 ने चाचा को दिखाने के बहाने उक्त विवादित कृषि भूमि के संबंध में उनकी कमजोर मानसिक स्थिति एवं बीमारी की स्थिति व चलने-फिरने, बोलने-समझने की स्थिति में नहीं होने का फायदा उठाते हुए दिनांक 30.12.2013 को रजिस्टर्ड विवादित मुख्त्यारनामा दस्तावेज तैयार किया एवं उसी अवैध मुख्त्यारनामा के आधार पर विवादित भूमि का अवैध व फर्जी बैयनामा दिनांक 21.05.2014 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हक में कर दिया। कालांतर में वादीगण के चाचा स्व.पूनमचन्द उर्फ मुल्तान का निधन दिनांक 06.06.2014 को होने पर उनके सारे क्रिया-कलाप उनकी इचनुसार वादीगण के निवास स्थान पर वादीगण द्वारा किये गये एवं सारे क्रियाकर्म एवं सामाजिक रीति रिवाज अनुसार किये गये क्रियाकर्म सम्पन्न होने के पश्चात् वादीगण की ओर से मृतक पूनमचन्द उर्फ मुल्तान के द्वारा उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा

होने एवं उसके बंटवारे की बात दोहराई जिस पर तत्समय सभी परिवार के सदस्यों ने हामी भरी एवं जिनसे उनकी सहमति थी। चूंकि भूमि अविभाजित थी और वादीगण के पास एकमात्र काम खेती का ही था एवं समय-समय पर वादीगण उक्त कृषि भूमि को सम्भालने जाते थे तथा जब 04.07.2014 को वादीगण इसी देखभाल के अनुसरण में बीकानेर से नोखा गांव गये तो उक्त खातेदारी अविभाजित कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 भी आ गया तथा वादीगण को बताया कि उसने इस अविभाजित कृषि भूमि में से चाचा का हिस्सा बैय कर दिया है इसलिए अब उक्त खेत में से कुल 04.0233 हैक्टेयर का कब्जा उसे सुपुर्द कर दो। उसे खरीददार का देना है, तभी और उसी समय वादीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादी द्वारा फर्जी तरीके से कार्यवाही करते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से मिलीभगत करते हुए फर्जी तौर पर उक्त कृषि भूमि के संबंध में मुख्त्यारनामा बनाया और उसी अवैध मुख्त्यारनामा के आधार पर बैयनामा अपने हक में प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 ने निष्पादित करवा लिया। उक्त बैयनामा सरासर फर्जी एवं शून्य है जिसे निरस्त करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जो बैयनामा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के हक में होने की जानकारी ही वादीगण को दिनांक 04.07.2014 को प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा उक्त बैयनामा होने का कथन करने पर हुई एवं वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ उसी दिन वाद कारण हांसिल हुआ। तथाकथित बैयनामा दिनांक 21.05.2014 पंजीबद्ध सब रजिस्ट्रार नोखा दिनांक 21.05.2014 के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 550 पृष्ठ संख्या 38 क्रम संख्या 2014002676 वास्तव में पूर्णतया अवैध एवं कूटरचित तथा फर्जी है। अव्वल तो जिस बैयनामा को निष्पादित करने का कथन किया है उस बाबत् स्व.पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचंद ने कभी प्रतिवादी संख्या 01 को मुख्त्यारनामा दिया ही नहीं क्योंकि स्व.पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचंद में पिछले चालीस वर्षों से तो समझ ही नहीं थी। उनके अंगूठा निशान ऐसी स्थिति में लिये गये जब निष्पादक स्व.पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचंद को इसकी जानकारी ही नहीं थी अर्थात् वे या तो उनकी बेहोशी की हालत में जबरदस्ती लगवाये गये या उनकी ऐसी मानसिक स्थिति में लगवाये गये जब उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि वे अंगूठा किस वास्ते व क्यों लगा रहे हैं। इस प्रकार उक्त मुख्त्यारनामा के आधार पर कथित निष्पादित पंजीबद्ध बैयनामा दिनांकित 21.05.2014 पूर्णतया फर्जी, कूटरचित व धोखे से

तैयार किया गया है एवं कानूनन कोई प्रभाव नहीं रखता तथा इससे वादीगण के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विवादित बैयनामा में भूखण्ड की कीमत अठारह लाख रूपये बताई गई एवं प्रतिफल राशि पूनमचन्द श्रीमाली द्वारा कब, किससे व कहां प्राप्त की गई इसका कोई उल्लेख उसमें नहीं है। वास्तविक स्थिति तो यह रही है कि उक्त बैयनामा के वरवक्त अथवा पहले या बाद में पूनमचन्द उर्फ मुलतानचंद को कोई राशि नहीं मिली व न ही कोई राशि तथाकथित क्रेता प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा पूनमचन्द को दी गई व न ही प्रतिवादी संख्या 02 व 03 उक्त राशि एवं स्टाम्प राशि एक साथ खर्च करने व अदा करने में समर्थ है। ऐसी कोई अठारह लाख रूपये की राशि विक्रेता के पास आई हो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, न ही विक्रेता के खाते में कभी अठारह लाख रूपये जमा हुए। इसके अलावा उक्त कृषि भूमि की कीमत अत्यन्त कम मात्र अठारह लाख रूपये दिखाई है जो कि अपने आप में संदेहास्पद है जिससे स्पष्ट है कि विवादित बैयनामा मात्र दिखाउ है एवं मात्र राशि अंकित की है, कोई लेन-देन नहीं हुआ। तथाकथित मुख्त्यारनामा दिनांकित 13.12.2013 पंजीबद्ध दिनांक 13.12.2013 में दिनांक 13.12.2013 को निष्पादक पूनमचन्द उर्फ मुलतानचंद के अंगूठा निशान बताये गये हैं जबकि पूनमचन्द सोचने-समझने की स्थिति में नहीं थे अपितु सब रजिस्ट्रार नोखा में मुख्त्यारनामा दिनांक 03.12.2013 की प्रस्तुति जरूरत अंकित हुई है। बैयनामा की भाषा अपने आप में संदेहास्पद स्थिति को प्रकट करती है। पूनमचन्द ने ऐसा कोई मुख्त्यारनामा निष्पादित नहीं किया क्योंकि उक्त समय वह ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वे बैयनामा मुख्त्यारनामा आदि किसी दस्तावेज को समझ सके और निष्पादित कर सके। उक्त विवादित बैयनामा भी फर्जी, कूटरचित व धोखे से तैयार किया गया है जिससे प्रतिवादी संख्या 01 को कोई विधिक अधिकार हांसिल नहीं होते। स्वयं वादी संख्या 01 व मृतक स्व.पूनमचन्द में शुरू से ही झगड़ा चलता रहता था। पंकज स्व.पूनमचन्द को उनके जीवनकाल में पागल कहकर तंग परेशान करता व कभी कभी मारता भी था एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 01 पंकज द्वारा कई मुकदमे स्व.पूनमचन्द के खिलाफ किये जिनमें दो प्रकरण वादीगण की जानकारी में है जो वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा की अदालत में जैरकार है। उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में उक्त विवादित भूमि पर स्थगन आदेश जारी करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा यह

आदेश पारित किया हुआ है कि यदि उक्त भूमि का विक्रय किये जाने की आशंका है यदि इस वादगत भूमि का विक्रय हो जाता है तो प्रार्थीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है इसलिए वादगत भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी दिनांक 03.08.2012 तक बनाये रखी जावे। उक्त आदेश आज दिनांक तक प्रभाव में है जिसे सुनकर निरस्त नहीं किया गया है। स्वयं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त आदेश मृतक स्व.पूनमचन्द के खिलाफ प्राप्त किया था। प्रतिवादी संख्या 01 अपने पिता से हमेशा झगड़ा करता रहता था एवं पंकज के पिता द्वारा भी एक सार्वजनिक विज्ञप्ति दैनिक अखबार में उसे सम्पत्ति से बेदखल करने की दी थी। विवादित कृषि भूमि नोखा गांव में स्थित है एवं नोखा तहसील के समस्त दस्तावेज जिनका पंजीयन होना अनिवार्य है, सब रजिस्ट्रार नोखा में नियमानुसार एवं कानूनानुसार पंजीबद्ध होते हैं लेकिन विवादित बैयनामा दिनांक 21.05.2014 पंजीबद्ध दिनांक 21.05.2014 सब रजिस्ट्रार नोखा को चुपके-चुपके मुख्त्यारआम प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत करवाकर बाला-बाला तौर पर तमाम वास्तविक स्थिति को छिपाकर एवं तमाम रजिस्ट्री नियमों एवं कानूनों की अवहेलना करते हुए फर्जी तौर पर उक्त् फर्जी व बनावटी बैयनामा को प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड करवा लिया जो पूर्णरूपेण फर्जी, बनावटी व धोखे से तैयार किये जाने के कारण कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता एवं काबिले निरस्तनीय है। विवादित बैयनामा दिनांकित 21.05.2014 में कहीं भी किसी का पैन नम्बर अंकित नहीं है तथा मुख्त्यारनामा व बैयनामा की भाषा एवं तथ्य विरोधाभासी एवं संदिग्ध स्पष्ट प्रतीत होते है। अंत में वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 04.07.2014 को प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा उक्त बैयनामा किये जाने की जानकारी देने एवं बैयनामा होने का कथन करने पर तथा दिनांक 04.07.2014 को ही प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा सम्पत्ति का अन्यथा हस्तान्तरण करने की धमकी देने पर हांसिल होना, वाद की मालियत अठारह लाख चार सौ रूपये कायम की जाकर न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का पूर्ण न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जाना बताते हुए कथित बैयनामा बहक प्रतिवादी संख्या 02 व 03 दिनांक 21.05.2014 पंजीबद्ध सब रजिस्ट्रार नोखा दिनांक 21.05.2014 शून्य, फर्जी व कूटरचित होने तथा वादीगण एवं स्व.पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचंद के तमाम उत्तराधिकारियों को आज भी बैयनामा शून्य होने से उक्त बैयनामा कृषि भूमि में हक अधिकार हांसिल

होने तथा बराबर मालिक होने एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को वादपत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित सम्पत्ति के संबंध में कोई हक अधिकार, टाईटल हांसिल नहीं होने की घोषणा किये जाने तथा वादपत्र में वर्णित आधारों पर विवादित बैयनामा निरस्त फरमाया जाकर स्व.पूनमचन्द के संयुक्त हक हिस्सा की खातेदारी अविभाजित कृषि भूमि वाके खसरा नं.64, रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नं. 177 रकबा 10.19 हैक्टेयर, खसरा नं.233 रकबा 9.82 हैक्टेयर, खसरा नं.234 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं.240 रकबा 2.73 हैक्टेयर, कुल किता 05 कुल रकबा 24.14 हैक्टेयर रोही नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर में वादीगण का आज भी हक हिस्सा होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को कोई हक अधिकार अथवा क्लेम हांसिल नहीं होने से प्रतिवादीगण द्वारा उक्त् कृषि भूमि के संबंध में ऐसा कोई फैल या तर्क करने जिससे वादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो अथवा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को उक्त भूमि को विवादित भूमि को अन्य कहीं भी रहन बैय या अन्यथा मुन्तकील करने व वादीगण को जबरदस्ती बेदखल करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषिद्ध किये जाने तथा अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे, दिलवाये जाने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पूनमचन्द एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष खत्री उपस्थित आये।

4. प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वाके खसरा नं.64, रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नं. 177 रकबा 10.19 हैक्टेयर, खसरा नं.233 रकबा 9.82 हैक्टेयर, खसरा नं.234 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं.240 रकबा 2.73 हैक्टेयर, कुल किता 05 कुल रकबा 24.14 हैक्टेयर रोही नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर कृषि भूमि में स्व.पूनमचन्द श्रीमाली के हिस्से की 04.233 हैक्टेयर कृषि भूमि होना स्वीकार करते हुए वादीगण के वादपत्र में अंकित शेष तथ्यों को अस्वीकार किया गया एवं जवाबदावा इस प्रकार पेश किया गया कि पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचंद पूर्व में प्रतिवादी संख्या 01 के पिता के पास रहते थे जिनके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 01 के पास रहते थे जिनकी सेवा चाकरी प्रतिवादी संख्या 01 के पिता व प्रतिवादी संख्या 01 करते थे। पूनमचन्द वादीगण के पास नहीं

रहते थे व न ही वादीगण ने उनकी सेवा चाकरी की अथवा करते थे। पूनमचन्द शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ थे, जो अपना भला बुरा सोचते व समझते थे। पूनमचन्द द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि 4.233 हैक्टेयर का मुख्त्यारनामा प्रतिवादी संख्या 01 को दिया गया जो सोच समझकर सही होना मानते हुए रोबरू गवाहान तहरीर व तकमील करके अपने अंगूठे लगाये जिस पर पूनमचन्द का फोटो भी लगा हुआ है जो सब रजिस्ट्रार नोखा में उन्होंने उपस्थित होकर स्वयं खिंचवाया है एवं सब रजिस्ट्रार नोखा द्वारा तमाम जांच इन्क्वायरी करने के बाद मुख्त्यारनामा पंजीबद्ध किया गया है। पूनमचन्द द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को मुख्त्यारनामा देने के बाद प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उसके आधार पर बैयनामा दिनांक 21.05.2014 को प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के हक में प्रतिफल के बदले किया गया है एवं कृषि भूमि का कब्जा क्रेतागण प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को सुपुर्द किया गया है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पूनमचन्द के जीवनकाल में विक्रय हो चुकी थी जिस पर कब्जा काश्त क्रेतागण प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का है जिनका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज विक्रय पत्र के बाद हो चुका है। जिसको वादीगण ने चेलेन्ज नहीं किया है तथा राजस्व रिकार्ड चेलेन्ज किये बिना वादीगण को वाद लाने का कानूनी अधिकार नहीं है। पूनमचन्द के स्वर्गवास पर तमाम सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाज प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये जाकर तमाम खर्चा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किया गया। पूनमचन्द के स्वर्गवास बाबत् अखबार में प्रकाशन में निवास स्थान का पता पूनमचन्द का प्रतिवादी संख्या 01 का दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि पूनमचन्द प्रतिवादी संख्या 01 के साथ रिहायश करते थे एवं उनके स्वर्गवास पर तमाम सामाजिक व धार्मिक बैठक आदि प्रतिवादी संख्या 01 के घर पर हुई एवं तमाम व्यय प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उठाया गया। वादीगण व परिवार के अन्य लोगों को मुख्त्यारनामा दिनांक 30.12.2013 की जानकारी शुरू से ही थी। पूनमचन्द के जीवनकाल में उनकी कृषि भूमि विक्रय हो चुकी थी जिसकी उनको व वादीगण को शुरू से जानकारी थी। वादीगण का उसमें कोई हक हिस्सा, राईटस, टाईटल नहीं रहने के कारण उनका राजस्व रिकार्ड में नाम इन्द्राज नहीं हुआ। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 88 व 207 के तहत जहां कृषि भूमि का घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया हो वहां घोषणात्मक डिक्री देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। वादी संख्या 01 स्वयं पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचंद के

साथ झगड़ा व मारपीट करता था। विक्रय पत्र में कृषि भूमि की बाजारू कीमत सही मानी गई है। वादीगण पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचन्द के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं है तथा न ही उनके द्वारा उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के अलाव पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचंद के अन्य भाई बहनों, भतीजों, भानजों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे पक्षकारो का असंयोजन है। कब्जा के अभाव में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा घोषणात्मक अनुतोष हेतु न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। अंत में वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध पच्चीस हजार रूपये के विशेष हर्जाना के साथ खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम इस प्रकार पेश किया गया कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद मियाद बाहर पेश किया गया है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। वादीगण को उनके विरूद्ध कोई बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत हांसिल नहीं है। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 01 से दिनांक 21.05.2014 को वाके रोही नोखा गांव में स्थित जायदाद कुल प्रतिफल की राशि देकर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। मौके पर आज भी प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादीगण का उक्त जायदाद से कोई लेना-देना नहीं है, उनका कब्जा नहीं है तथा न ही वे मालिक है। पूनमचन्द श्रीमाली के निधन की सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी गई। जिनके निधन के बाद वादीगण ने उनका क्रियाकर्म सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न नहीं करवाया। वर्तमान में वादीगण कृषि भूमि काश्त नहीं कर रहे तथा न ही उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। पूनमचन्द श्रीमाली में सोचने समझने की शक्ति थी और वे अच्छी तरह चल फिर सकते थे। मुख्त्यारनामा के आधार पर बैयनामा दिनंाक 21.05.2014 सही करवाया गया है। वादीगण कभी भी कृषि भूमि को सम्भालने नहीं गये व न ही देखने गये एवं न ही नोखा गांव गये। प्रतिवादी संख्या 01 को जो मुख्त्यारनामा पूनमचन्द ने दिया उसी के आधार पर ये जायदाद प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के हक में विक्रय की थी जिसकी जानकारी शुरू से ही वादीगण को थी। वादीगण बैयनामा को निरस्त करवाने के अधिकारी नहीं है। उनको प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत हांसिल नहीं

है। अंगूठा निशानी भी पूनमचन्द ने सही लगाई थी और उन्हें उस वक्त जानकारी थी कि यह मुख्त्यारनामा प्रतिवादी संख्या 01 के हक में निष्पादित किया जा रहा है। वादग्रस्त भूखण्ड की प्रतिफल राशि अठारह लाख रूपये पूनमचन्द को दी गई और मुख्त्यारआम को यह कहकर दी गई कि ये राशि वादीगण को दे दे और ये प्रतिफल की राशि प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण को दे भी दी थी। पूनमचन्द ने अठारह लाख रूपये की राशि मुख्त्यारआम से ले ली थी। बाजारू कीमत भी उस वक्त उक्त कृषि भूमि की अठारह लाख रूपये ही बनती थी और उसी के मुताबिक राशि दी गई थी। मुख्त्यारनामा दिनांक 13.12.2013 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय नोखा में तस्दीक हुआ उस वक्त पूनमचन्द के सोचने समझने की शक्ति थी एवं वे पूर्ण स्वस्थ थे तथा चल फिर सकते थे। उपखण्ड अधिकारी नोखा में यदि कोई विवाद चल रहा हे तो इसकी पाबन्दी इस प्रकरण पर नहीं हो सकती व न ही यह उससे संबंधित है। यदि कोई राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति के आदेश हो रखे है तो या पूनमचन्द के विरूद्ध कोई यथास्थिति के आदेश हो रखे हैं ता प्रतिवादीगण की इस पर कोई पाबन्द नहीं है। प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई विशेष स्थिति को नहीं छुपाया जिससे कानून की कोई अवहेलना होती हो। विक्रय विलेख की तारीख से लेकर आज तक कब्जा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का विधिवत् रूप से बहैसियत मालिक व काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण को दिनांक 04.07.2014 को कोई बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत हांसिल नहीं हुआ है। अंत में वाद मियाद बाहर, न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं होने से वादीगण का वाद सव्यय खारिज करते हुए वादीगण को जवाबदावा के पैरा संख्या 14 में दर्ज खेत से प्रतिवादीगण को बेदखल करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

6. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए जवाबुल जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि उक्त अविभाजित कृषि भूमि का कब्जा वादीगण के पास स्व.पूनमचन्द के मृत्युपर्यन्त एवं उसके पश्चात् से अब तक है। वर्तमान में भी वादीगण ही तमाम कृषि भूमि को काश्त कर रहे हैं एवं उपयोग उपभोग में ले रहे हैं। अंत में काउन्टर क्लेम पूर्ण

न्यायशुल्क पर प्रस्तुत नहीं होने से प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम में वांछित अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकना बताते हुए प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न संशोधित/अतिरिक्त विवाद्यक कायम किए गएः-

1- आया पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचन्द श्रीमाली द्वारा दिनांक 30.12.2013 को कोई मुख्त्यारनामा निष्पादित नहीं किया गया व कथित मुख्त्यारनामा फर्जी व कूटरचित होने से निरस्त होने योग्य है?

--वादीगण

2- आया बैयनामा दिनांकित 21.05.2014 बहक प्रतिवादी संख्या 02 व 03 पूर्णतया कूटरचित, अवैध, फर्जी व धोखे के आधार पर निष्पादित होने से निरस्त होने योग्य है एवं वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त सम्पदा का कब्जा वादीगण के पास स्व.पूनमचन्द के मृत्युपर्यन्त एवं उसके पश्चात् से अब तक है?

--वादीगण

3- आया वादीगण वादपत्र में वर्णितानुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

--वादीगण

4- आया वाद वादीगण पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर चलने योग्य नहीं है?

--प्रतिवादीगण

5- आया वाद वादीगण मियाद बाहर पेश हुआ है?

--प्रतिवादीगण

6- आया दावा इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं है?

--प्रतिवादीगण

7- आया वाद मूल्यांकन कम आंका गया है?

--प्रतिवादीगण

8- आया दावा मियाद बाहर पेश हे?

--प्रतिवादीगण

8/ए आया विवादित बैयनामा के भूखण्ड की कीमत में पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचन्द श्रीमाली को कोई राशि नहीं मिली?

--वादीगण

8/बी आया मुल्तानचन्द श्रीमाली वरवक्त निष्पादन मुख्त्यारनामा सोचने व समझने की स्थिति में नहीं थे?

--वादीगण

9- अनुतोष?

8. इस स्तर पर प्रतिवादीगण अनुपस्थित, वे स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

9. उपरोक्त विवाद्यकों की पुष्टि में वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू-1 गजेन्द्र, पीडब्ल्यू-2 देवेन्द्र श्रीमाली, पीडब्ल्यू-3 नरेन्द्र श्रीमाली को पेश कर परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी नोखा में चल रहे रेवेन्यू मुकदमे की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-1, उपखण्ड अधिकारी नोखा में चल रहे राजस्व प्रार्थना पत्र सं.110/2012 की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-2, पूनमचन्द का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श-3 जिनकी फोटोप्रतियां प्रदर्श 1ए से 3ए, गजेन्द्र के वादग्रस्त खेत की जमाबंदी प्रदर्श-4 व पंकज द्वारा विवादग्रस्त खेत के किये गये बैयनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-5 को पेश कर प्रदर्शित करवाया।

10. बहस अंतिम एकपक्षीय रूप से सुनी गई। वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौराने तर्क दिया गया कि वादीगण ने अपना वाद साबित किया है तथा वादीगण की ओर से गवाहान गजेन्द्र, देवेन्द्र व नरेन्द्र श्रीमाली को पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिनसे प्रतिवादीगण की ओर से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं होने से वादीगण अपना वाद अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। अंत में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

11. **<u>तनकी संख्या 01</u>**

आया पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचन्द श्रीमाली द्वारा दिनांक 30.12.2013 को कोई मुख्त्यारनामा निष्पादित नहीं किया गया व कथित मुख्त्यारनामा फर्जी व कूटरचित होने से निरस्त होने योग्य है?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था जिसके संबंध में वादी पीडब्ल्यू-1 गजेन्द्र श्रीमाली अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन करता है कि उसके चाचा स्वर्गीय पूनमचन्द श्रीमाली चालीस वर्षों से भयंकर रूप से बीमार थे, पागल थे, जड़बुद्धि थे, सोचने-समझने की स्थिति में नहीं थी और प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के चाचा का लड़का था जिसने वादीगण को कई बार आग्रह किया कि वह अपने पुश्तैनी मंदिर जो नोखा गांव में है, उस मंदिर में वादीगण के चाचा श्री पूनमचन्द श्रीमाली को दर्शन करवाकर लाना चाहता है ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। तब उसकी बातों पर विश्वास करके दिनांक 12.12.2013 को स्वर्गीय पूनमचन्द श्रीमाली को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ भेज दिया। उस समय उनकी मानसिक स्थिति कमजोर थी, बीमार थे, चलने-फिरने एवं बोलने-समझने की स्थिति में नहीं थे, उस स्थिति का फायदा उठाते हुए दिनांक 30.12.2013 को विवादित रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा दस्तावेज तैयार किया जो अवैध है। वादी के शपथ पत्र पर कथित इन कथनों का कोई खण्डन नहीं हुआ क्योंकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से वादी के इस साक्षी पीडब्ल्यू-1 गजेन्द्र श्रीमाली की कोई जिरह नहीं हुई तथा प्रतिवादीगण ने जो अपने काउन्टर क्लेम में आधार लिये थे, उनके संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। इसके अतिरिक्त वादी पक्ष की ओर से पीडब्ल्यू-2 देवेन्द्र श्रीमाली व पीडब्ल्यू-3 नरेन्द्र श्रीमाली ने भी अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से कथन किया कि स्वर्गीय पूनमचन्द श्रीमाली की कमजोर मानसिक स्थिति व उनकी बीमारी तथा चलने-फिरने व बोलने-समझने की स्थिति में नहीं होने का फायदा उठाते हुए दिनांक 30.12.2013 को रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा तैयार किया गया। यहां यद्यपि इन समस्त साक्षियों के शपथ पत्र के पैरा संख्या 06 में मुख्त्यारनामा की दिनांक 30.12.2013 है लेकिन मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र के पैरा संख्या 10 में मुख्त्यारनामा की दिनांक 13.12.2013 है जो टंकणीय त्रुटि प्रतीत होती है। मुख्त्यारनामा की वास्तविक दिनांक 30.12.2013 ही है। इस तनकी के संबंध में वादीगण की ओर से जो साक्ष्य पेश हुई है, उसका खण्डन नहीं होने से उक्त तनकी वादीगण

साबित करने में सफल रहे हैं। तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

12. **<u>तनकी संख्या 02</u>**

आया बैयनामा दिनांकित 21.05.2014 बहक प्रतिवादी संख्या 02 व 03 पूर्णतया कूटरचित, अवैध, फर्जी व धोखे के आधार पर निष्पादित होने से निरस्त होने योग्य है एवं वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त सम्पदा का कब्जा वादीगण के पास स्व.पूनमचन्द के मृत्युपर्यन्त एवं उसके पश्चात् से अब तक है?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था जिसके संबंध में पीडब्ल्यू-1 गजेन्द्र श्रीमाली, पीडब्ल्यू-2 देवेन्द्र श्रीमाली व पीडब्ल्यू-3 नरेन्द्र श्रीमाली तीनों अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्रों में कथन करते हैं कि श्री पूनमचन्द श्रीमाली पिछले चालीस वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, चलने-फिरने में समर्थ नहीं थे और न ही सोचने-समझने में समर्थ थे तथा उनकी इस स्थिति का फायदा उठाकर दिनांक 30.12.2013 को अवैध मुख्त्यारनामा तैयार किया और उसी अवैध मुख्त्यारनामा के आधार पर फर्जी बैयनामा दिनांक 21.05.2014 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से मिलीभगत करके प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के हक में कर दिया। दिनांक 21.05.2014 को उपपंजीयक नोखा में पंजीकृत बैयनामा निष्पादक श्री पूनमचन्द श्रीमाली उर्फ मुल्तानचन्द श्रीमाली की जानकारी में नहीं था और उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, इस कारण पूर्णरूप से फर्जी व कूटरचित है, धोखे से तैयार किया गया है जो कानूनन कोई प्रभाव नहीं रखता। साथ ही उक्त साक्षीगण ने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि पर शुरू से लेकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने तक उनका ही कब्जा है, जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से नहीं हुआ है। ऐसे में वादीगण इस तनकी को साबित करने में सफल रहे हैं। तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

13. **<u>तनकी संख्या 03</u>**

आया वादीगण वादपत्र में वर्णितानुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। उक्त तनकी, तनकी संख्या 01 व 02 के निर्धारण से भी संबंधित है और

अनुतोष की तनकी है। चूंकि तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। ऐसे में वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ऐसे में वादीगण इस तनकी को साबित करने में सफल रहे हैं। तनकी संख्या 03 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

14. **<u>तनकी संख्या 04</u>**

आया वाद वादीगण पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर चलने योग्य नहीं है?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में विफल रहे हैं। तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

15. **<u>तनकी संख्या 05</u>**

आया वाद वादीगण मियाद बाहर पेश हुआ है?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में विफल रहे हैं। तनकी संख्या 05 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

16. **<u>तनकी संख्या 06</u>**

आया दावा इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं है?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। चूंकि प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई आधार नहीं बताया जिससे यह दर्शित हो कि इस न्यायालय को मामले की सुनवाई की श्रवणाधिकारिता व क्षेत्राधिकारिता नहीं हो। वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर वादपत्र इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है। ऐसे में प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में विफल रहे हैं। तनकी संख्या 06 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

17. **<u>तनकी संख्या 07</u>**

आया वाद मूल्यांकन कम आंका गया है?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जबकि वादीगण ने वादपत्र में जो वाद का मूल्यांकन किया है, उस अनुरूप न्यायशुल्क प्रस्तुत किया है। ऐसे में प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में विफल रहे हैं। तनकी संख्या 07 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

18. **<u>तनकी संख्या 08</u>**

आया दावा मियाद बाहर पेश है?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर यह दर्शित नहीं किया कि हस्तगत वाद मियाद अवधि से बाहर है। वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों से वाद मियाद अवधि में है। ऐसे में प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में विफल रहे हैं। तनकी संख्या 08 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

19. **<u>तनकी संख्या 08 ए</u>**

आया विवादित बैयनामा के भूखण्ड की कीमत में पूनमचन्द उर्फ मुल्तानचन्द श्रीमाली को कोई राशि नहीं मिली?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। जिसके संबंध में वादीगण पीडब्ल्यू-1 गजेन्द्र श्रीमाली, पीडब्ल्यू-2 देवेन्द्र श्रीमाली व पीडब्ल्यू-3 नरेन्द्र श्रीमाली अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्रों में कथन करते हैं कि विवादित बैयनामा धोखे से बिना प्रतिफल के तैयार हुआ, बैयनामा मात्र दिखाउ है जो राशि अंकित है, उसका कोई लेन-देन नहीं हुआ। जिस तथ्य का कोई खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ। ऐसे में वादीगण इस तनकी को साबित करने में सफल रहे हैं। तनकी संख्या 08 ए वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

20. **<u>तनकी संख्या 08 बी</u>**

आया मुल्तानचन्द श्रीमाली वरवक्त निष्पादन मुख्त्यारनामा सोचने व समझने की स्थिति में नहीं थे?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। उक्त तनकी, तनकी संख्या 01 के समरूप है और तनकी संख्या 01 में यह तय हो चुका है कि वरवक्त निष्पादन मुख्त्यारनामा मुलतानचन्द श्रीमाली सोचने-समझने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में वादीगण इस तनकी को साबित करने में सफल रहे हैं। तनकी संख्या 08 बी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

21. **<u>तनकी संख्या 09-</u>** अनुतोष?

चूंकि वादीगण तनकी संख्या 01 लगायत तनकी संख्या 03 एवं तनकी संख्या 08 ए व 08 बी को साबित करने में सफल रहे हैं तथा प्रतिवादीगण तनकी संख्या 04 लगायत 08 को साबित करने में विफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण अपने वादपत्र में वांछित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

22. परिणामतः वादीगण गजेन्द्र श्रीमाली वगैरा के द्वारा प्रतिवादीगण पंकज श्रीमाली वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत वाद बाबत् निरस्त करवाने विक्रय पत्र व प्राप्त करने कब्जा अन्तर्गत आदेश-07 नियम-01 सिविल प्रक्रिया संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः-

वादग्रस्त बैयनामा बहक प्रतिवादी संख्या 02 व 03 पंजीबद्ध उपपंजीयक, नोखा दिनांक 21.05.2014 पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 550, पृष्ठ संख्या 38 के क्रम संख्या 2014002676 शून्य, फर्जी व कूटरचित घोषित किया जाता है, जो वादीगण एवं स्व.पूनमचन्द के तमाम उत्तराधिकारियों के हक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।

स्व.पूनमचन्द श्रीमाली के संयुक्त हक हिस्सा की खातेदारी अविभाजित कृषि भूमि वाके रोही नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर के खसरा नं.64, रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नं. 177 रकबा 10.19 हैक्टेयर, खसरा नं.233 रकबा 9.82 हैक्टेयर, खसरा नं.234 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं.240 रकबा 2.73 हैक्टेयर, कुल किता 05 कुल रकबा 24.14 हैक्टेयर में वादीगण का हक व हिस्सा होने तथा प्रतिवादी

संख्या 01 व 02 को कोई हक अधिकार अथवा क्लेम हांसिल नहीं होने की घोषणा की जाती है।

प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि को अन्य कहीं भी रहन बैय अथवा अन्यथा मुन्तकील नहीं करे, जबरन बेदखल नहीं करे तथा ऐसा कोई फैल या तर्क नहीं करे जिससे वादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जावे।

(मुकेश कुमार-प्रथम)
अपर जिला न्यायाधीश
नोखा जिला बीकानेर।

23. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार-प्रथम)
अपर जिला न्यायाधीश
नोखा जिला बीकानेर।